प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 21.08.2026

थाना भदोही पु लस द्वारा ववाहिता की गला दबाकर हत्या (दहेज हत्या) के मामले में वांछित पति, ससुर और सास सहित 03 आरोपी गरफ्तार

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

वादी गया प्रसाद (उम्र 71 वर्ष) निवासी खगरपुर, थाना सुरियावां, भदोही की पुत्री राजकुमारी का ववाह राजेश पुत्र शीतला प्रसाद निवासी बरमोहनी के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही पति राजेश, ससुर शीतला प्रसाद उर्फ सपाही, सास व ननद सीमा आदि द्वारा मृतका को दहेज के लए शारीरिक व मान सक रूप से प्रता ड़त कया जा रहा था। दिनांक 11.02.2026 को को वप क्षयों द्वारा मृतका राजकुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई तथा शव को छुपाने/नष्ट करने का प्रयास कया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर पर थाना भदोही पर मु०अ०सं०-170/2026 धारा 103(1), 85 बीएनएस (BNS) पंजीकृत कया गया था। वांछित अ भयुक्तों की गरफ्तारी हेतु पु लस टीम लगातार प्रयासरत थी।

* गरफ्तारी का ववरण:-*

श्री अ भनव त्यागी , पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान के तहत *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 21.08.2026 को द्वारा मुखबिर की सटीक सूचना पर ग्राम बरमोहनी से मु0अ0सं0-170/2026 धारा 108 , 85 बीएनएस से संबं धत 03 वांछित अ भयुक्तों (पति, ससुर व सास) को उनके निवास स्थान से गरफ्तार कया गया।

* गरफ्तार अ भयुक्तों का ववरण:-*

1.राजेश पुत्र शीतला प्रसाद उर्फ सपाही (पति) उम्र लगभग 33 वर्ष।

2.शीतला प्रसाद उर्फ सपाही पुत्र भूषण (ससुर) उम्र लगभग 53 वर्ष।

3.सास उम्र लगभग 50 वर्ष।

समस्त निवासीगण ग्राम बरमोहनी थाना भदोही जनपद भदोही।

* गरफ्तार करने वाली पु लस टीम:-*

उ0नि0 दिनेश कुमार, हे0कां0 दिनेश कुमार, हे0कां0 वनोद कुमार, म0कां0 सोमवती संह थाना भदोही।